



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-02-04-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त आशीष कुमार गुप्ता को चोरी के प्रकरण में मा० न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-चौक में पंजीकृत मु०अ०सं०- 0092/2022 धारा- 379, 411, 413, 414 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष गुप्ता पुत्र डब्लू गुप्ता निवासी- 63/182 भूतभैरव कोतवाली वाराणसी को थाना चौक पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 02-04-2024 को मा० न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त आशीष उपरोक्त को धारा- 379 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा- 411 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा- 413 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा- 414 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । सभी सजाये साथ-साथ चलेंगी ।

**सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी**